राजधानी में ब्लैक आउट पर प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह हुए नाराज

निगम-बिजली कंपनी के अफसरों की मीटिंग बुलाई, बोले-आज चालू कराएंगे

युग प्रदेश, भोपाल।

राजधानी भोपाल की सड़कों पर ब्लैक आउट के मुद्दे पर प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की नाराजगी सामने आई है। इसे लेकर उन्होंने बुधवार को नगर निगम और बिजली कंपनी के अफसरों की मीटिंग बुलाई है। उन्होंने कहा कि कल तक भोपाल की स्ट्रीट लाइटें चालू करा दी जाएगी।

वीआईपी रोड, भोज सेतु, कमला पार्क, पॉलीटेक्निक चौराहा एवं आसपास के एरिये में स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। इसी तरह कोलार रेस्ट हाउस से चूना भट्टी के बीच की सड़क अंधेरे में है। लिंक रोड नंबर-2 पूरी अंधेरे में डूबी हुई है। बिट्टन मार्केट चौराहा से कोलार रेस्ट हाउस और फिर मैनिट तक यही स्थिति है। शिवाजी नगर, सात नंबर स्टॉप, मानसरोवर, अरेरा कॉलोनी, दस नंबर स्टॉप, अरेरा हिल्स, सात्थ टीटी नगर, ग्रीन पार्क, ई-4 एरिया समेत पुराने शहर के ज्यादातर इलाकों में अंधेरा

छाया हुआ है। बैरसिया रोड, आनंद नगर समेत रायसेन रोड के भी कई इलाकों की सड़कों में अंधेरा है। यह पहली बार नहीं है जब सड़कों पर अंधेरा हो, इससे पहले भी बिजली कंपनी स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट चुकी है। बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने से कंपनी कनेक्शन काट देती है। फरवरी 2021 को शहर के 40 से ज्यादा इलाकों में स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट दिए गए थे। चार-पांच दिन तक शहर की सड़कों पर अंधेरा ही रहा था। इससे एक महीने पहले जनवरी में भी स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे गए थे। वर्ष 2020 में निगम के 10 जोन व 20 वार्ड कार्यालय, गोविंदपुरा बिजली शाखा समेत कई मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट बंद की गई थी। वर्ष 2019 में कंपनी ने स्ट्रीट लाइट से लेकर निगम के दफ्तरों तक के कनेक्शन काटे थे। शहर के 40 से ज्यादा बड़े इलाके पिछली 11 रातों से अंधेरे में है। करोड़ों रुपए के बिल बकाया होने पर बिजली कंपनी ने 25 फीसदी इलाकों की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट रखे हैं। इस कारण जनता परेशान हैं। हैरत की बात तो यह है कि निगम अफसरों ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया है।

एक हजार एमएम व्यास की नर्मदा फीडर लाइन की मरम्त का काम शुरू

आजाद नगर में मेट्रो डिपो निर्माण के दौरान मशीनों से टूटी नर्मदा लाइन, आज प्रभावित होगी सप्लाई

युग प्रदेश, भोपाल।

इन दिनों मेट्रो का कामकाज तेजी से हो रहा है जिसके चलते मंगलवार शाम को नर्मदा पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल स्लाटर हाउस के पास मेट्रो के ट्रैक बिछाने के अलावा आजाद नगर स्थित जमीन पर डिपो का निर्माण भी होना है। इसके लिए काम चल रहा था जिसके चलते इसी हिस्से में मशीनों से खुदाई के दौरान नर्मदा की मेन पाइप लाइन टूट गई जिसकी वजह से देखते ही देखते सुभाष अंडरब्रिज तालाब में परिवर्तित हो गया। सड़क पर करीब डेढ़ से दो फीट पानी बहता रहा। इसके बाद मेट्रो का काम कर रहे ठेकेदार ने इसकी सूचना निगम के जलकार्य विभाग से जुड़ें अधिकारियों को दी जिन्होंने मौका मुआयना करने के बाद इस लाइन को सुधारने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच शहर के कुछ ऐसे हिस्से जहां इस लाइन के जरिए सप्लाई की जाती है। वहां कल की सप्लाई प्रभावित होगी। अधिकारियों

की मानें तो गोविंदपुरा की मेन फीडर लाइन एक हजार एमएम व्यास की है जिसके टूटने से शहर के एक हिस्से में सप्लाई प्रभावित होगी। जिन इलाकों में सप्लाई प्रभावित होगी उनमें पुराने शहर से लेकर गोविंदपुरा विधानसभा और नरेला विधानसभा के अंतर्गत आनेवाले जिंसी चौराहा,वेटनरी,पुल बोगदा,जहांगीराबाद,आमवाली मस्जिद,यूनानी शफाखाना, कल्लाशाह का हाता, ओल्ड सेमरा,मयूर विहार,पंत नगर, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, चांदबड़, सुभाष नगर, अन्ना नगर, विकास नगर, आईएसबीटी, गौतम नगर, बरखेड़ा पठानी, पटेल नगर, आनंद नगर, रत्नागिरी, सोनागिरी, राजीव नगर, भारत नगर, दामखेड़ा, गोविंदपुरा एरिया, कोलुआ और मिनाल रेसीडेंसी शामिल है।

संक्षिप्त समाचार

राज्य स्तरीय उपभोक्ता संतुष्टि कार्यशाला एवं सम्मान समारोह आज,सीएम उत्कृष्ट बिजली कर्मियों को करेंगे सम्मानित

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिजली कंपनियों के ऐसे कार्मिक, जिन्होंने बेहतर उपभोक्ता सेवाओं एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति में उत्कृष्ट कार्य किया है, को सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय ऊर्जा-संरक्षण, निर्बाध विद्युत प्रदाय एवं उपभोक्ता संतुष्टि कार्यशाला तथा सम्मान समारोह 9 नवंबर को शाम 6 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार (मिन्टो हॉल) में होगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग भी उपस्थित रहेंगे।

महापौर राय ने कैंसर हास्पिटल में किया भोजन वितरण

भोपाल। महापौर श्रीमती मालती राय ने मंगलवार को ईदगाह हिल्स स्थित कैंसर हास्पिटल में भोजन वितरण किया। उक्त भोजन वितरण कार्यक्रम सेवा भारती गुरूनानक मंडल द्वारा संचालित सेवा भारती माँ अन्नपूर्णा भोजन सेवा केन्द्र के माध्यम से वितरित किया गया। इस अवसर पर पार्षदगण, सेवा भारती के पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

अशोका गार्डन जैन मंदिर में भव्य वेदी शिलान्यास महोत्सव

भोपाल। अशोका गार्डन जैन मंदिर में भव्य वेदी शिलान्यास महोत्सव कर समस्त दिगंबर जैन समाज अशोका गार्डन श्रद्धालुओं द्वारा वेनायक यंत्र जी को माथे पर विराजमान कर भव्य वेदी शिलान्यास कि क्रिया शुरू की गई , जिसमें महिलाएं केसरिया रंग की साड़ी पहन और सिर पर मुकुट लगाकर शामिल थी।। वेनायक यंत्र जी का विनय पूर्वक भगवान जैनेंद्र की वंदना एवं स्वीकृति लेकर पांडुक शिला पर विराजमान कर उनके अभिषेक एवं शांति धारा की गई। भव्य वेदी शिलान्यास महोत्सव वेदी शिला आकर्षण का केंद्र थी जो कि मुनि श्री द्वारा शिला पर मंत्र लिखे गए थे जिसको देखने श्रद्धालु ललाहित थे।

शिकार के मांस के साथ युवक गिरफ्तार, शिकारी फरार

भोपाल। राजधानी की कोहेफिजा पुलिस ने शिकार के मांस सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी युवक को यह मांस दो अन्य युवकों ने दिया था, जो अभी फरार है। मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक कोहेफिजा पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सईद नगर में रहने वाले 26 वर्षीय आरिफ खान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 50 किलो से अधिक मांस सहित चाकू जप्त किया है। जप्त मांस नीलगाय का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में बताया है, कि यह मांस उसे अरबाज और मुईन नामक युवकों ने दिया था, जो सागर रोड से नीलगाय का शिकार कर उसका मांस भोपाल लेकर आए थे।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगे प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र

रोजगार के लिए 2 योजनाएं प्रारंभ करेगी मध्यप्रदेश सरकार

युग प्रदेश, भोपाल।

प्रदेश में रोजगार के लिए रिक्त पदों पर भर्ती, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के बाद अब शिवराज सरकार दो नई योजनाएं और प्रारंभ करने जा रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण से युवाओं को जोड़कर न सिर्फ स्वरोजगार दिलाया जाएगा बल्कि किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसके लिए प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें 10 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।

वहीं, उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम अब परिवहनकर्ताओं से लेकर युवाओं को दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू की जा रही है। इसमें चिह्नित युवाओं को बैंकों से ऋण स्वीकृत कराकर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार अपनी ओर से एक लाख 25 हजार रुपये का अनुदान और तीन प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान

युवाओं को 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा अनुदान

देगी। दोनों योजनाओं पर अंतिम निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में होगा। प्रदेश में सिंचित क्षेत्र बढऩे और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है पर इसका अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसान फसल आने के बाद उपज व्यापारियों को बेच देते हैं। वे प्राथमिक प्रसंस्करण करके उपज बेचते हैं और लाभ अर्जित करते हैं। यही काम यदि ग्रामीण स्तर पर होने लगे तो किसानों को न सिर्फ उपज का उचित मूल्य मिलेगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए सरकार ने प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना करवाने का निर्णय लिया है। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के स्थानीय युवाओं को सेंटर की स्थापना के लिए बैंक से ऋण दिलाया जाएगा। सरकार अपनी ओर से 40 प्रतिशत तक अनुदान, जो दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगा, दिया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को दाल मिल, राइस मिल, अनाज की सफाई, श्रेणीकरण सहित कृषि उत्पाद से जुड़ी अन्य मशीनों के संचालन एवं रखरखाव के संबंध में प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। तीन साल में 590 केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, एक करोड़ 11 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिमाह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित होने वाले खाद्यान्न को उचित मूल्य की राशन दुकान तक पहुंचाने का काम भी युवाओं को दिया जाएगा। अभी प्रदेश में 120 परिवहनकर्ता पूरे प्रदेश में 26 हजार दुकानों तक 223 प्रदाय केंद्रों से गेहूं, चावल औ नमक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में दुकान से गांव तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री आपका राशन आपके ग्राम योजना लागू की थी।

एनएचडीसी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह

युग प्रदेश, भोपाल।

एनएचडीसी निगम मुख्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर से 06 नवम्बर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसका समापन दिनांक 07 नवम्बर 2022 को किया गया । इस सप्ताह के दौरान एनएचडीसी निगम मुख्यालय के सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न स्थानीय स्कूल में छात्रो में सतर्कता जागरूकता हेतु कई प्रतियोगिताए व कार्यक्रम आयोजित किये गये । जिनमें सभी स्कूलो के अधिक से अधिक छात्रो द्वारा बढ-चढकर अपनी-अपनी प्रतिभागिता की गई । इसी क्रम मे निगम मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारम्भ दिनांक 31.10.2022 को बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा, प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी द्वारा निगम के समस्त उच्चाधिकारीगण एवम विरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति में किया गया । दिनांक 31.10.2022 को शपथ ग्रहण में श्री विजय कुमार सिन्हा, प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी द्वारा निगम मुख्यालय में पदस्थ अधिकारीगण एवम कर्मचारीगण को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलायी गई । उन्होंने अपने संक्षिप्त उदबोधन में सतर्कता में सहभागिता की अवधारणा के अनुरूप कार्य करने हेतु सभी से आव्हान किया । इसके पश्चात सतर्कता विभाग के उच्चाधिकारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा निगम में कार्यरत कॉंट्रेक्ट कर्मचारियो को भी सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जहाँ सभी कॉंट्रेक्ट कर्मचारियों को भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये ईमानदारी व पारदर्शिता से कार्य करने की प्रेरणा दी गई । इस सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान निगम मुख्यालय में पदस्थ अधिकारीगण व कर्मचारीगण तथा उनके परिवारजन के लिये हर दिन विभिन्न प्रतियोगिताए आयोजित की गई । दिनांक 31.10.2022 को सभी कार्मिको के लिये व कार्मिको के परिवार की महिलाओ के लिये काव्य-पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कई प्रतिभागिताओ ने बढ-चढकर हिस्सा लिया व बेहतरीन कविताओ का अपने ढंग से प्रदर्शित किया।

धनबाद मण्डल में बिल्ली स्टेशन पर प्री नॉन-नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कुछ गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन

युग प्रदेश, भोपाल।

पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद मण्डल में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चालू करने के सम्बंध में बिल्ली स्टेशन पर प्री नॉन/नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। प्री नॉन/नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की अवधि में इस मार्ग से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है।

अपने प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 09.11.2022 को चलने वाली गाड़ी संख्या 19413 अहमदाबाद-कोलकाता एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया ओबरा डैम-सलई बनवा स्टेशन होकर गन्तव्य को जाएगी।अपने प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 12.11.2022 को चलने वाली गाड़ी संख्या 19414 कोलकाता-अहमदाबाद एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया सलई बनवा-ओबरा डैम स्टेशन होकर गन्तव्य को जाएगी। अपने प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 09.11.2022 को चलने वाली गाड़ी संख्या 13026 भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया ओबरा डैम-सलई बनवा स्टेशन होकर गन्तव्य को जाएगी।अपने प्रारंभिक स्टेशन से दिनांक 10.11.2022 को चलने वाली गाड़ी संख्या 19607 कोलकाता-मदार जंक्शन एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया सलई बनवा-ओबरा डैम स्टेशन होकर गन्तव्य को जाएगी। यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा हङ्ग्श्वस/139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी पता करके तदनुसार यात्रा प्रारम्भ करें।

अगले साल एसपीएस के 9 अफसर बनेंगे आईपीएस

भोपाल। राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के अफसरों के आने वाले साल में कॉडर रिव्यू बड़ा सहारा देगा। 9 एसपीएस के अफसर आईएएस बनेंगे दरअसल वर्ष 2023 में महज चार अफसर ही रिटायर हो रहे हैं, इनके बदले में इनते ही एसपीएस अफसरों को आईपीएस अवार्ड होगा।

पूर्व तट रेलवे के महाप्रबंधक बने रूप नारायण सुनकर, भोपाल से की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई

युग प्रदेश, भोपाल।

1985 बैच के भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसई) के अधिकारी श्री रूप नारायण सुनकर ने आज पूर्व तट रेलवे में महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे पदस्थापना से पूर्व श्री सुनकर बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पश्चिम मध्य रेलवे में मुख्य परियोजना निदेशक (सीपीडी)/पुल कार्य, मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम)/रतलाम, उत्तर मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे में मुख्य पुल अभियंता, बिलासपुर में मुख्य अभियंता (निर्माण) के रूप में भी काम किया। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से इंजीनियरिंग स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, श्री सुनकर 1985 में भारतीय रेलवे में शामिल हुए। उन्हें परियोजनाओं के

निर्माण और उसकी शुरुआत का व्यापक अनुभव है। इनके नेतृत्व में 2020-21 के दौरान, 228 किलोमीटर की रेलवे परियोजनाओं को चालू किया गया जिसमें नई लाइन और दोहरीकरण और तीसरी लाइन शामिल है जो भारतीय रेलवे के सभी जोनल रेलवे में सबसे अधिक प्रगति है। इसके अलावा एसेट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जैसे ब्रिज वर्क आदि में इन्होंने प्रोएक्टिव एप्रोच अपनाकर प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन किया जिसकी हर तरफ से तारीफ की गयी। श्री सुनकर अत्यधिक प्रतिबद्ध और समर्पित अधिकारी हैं, जिनके पास ब्रिज वर्क्स का शानदार ज्ञान और अनुभव है, जो हमेशा अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहते हैं। श्री सुनकर अत्यधिक प्रेरक व्यक्तित्व के अधिकारी भी हैं जिन्होंने असाधारण नेतृत्व कौशल प्रदान कर अपने सहयोगियों का विश्वास अर्जित किया है। हर कार्य को चुनौती मानकर श्री सुनकर भारतीय रेल के मिशन को पूरा करने के लिए सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बीटेक में अपनी डिग्री के अलावा बुनियादी ढांचे / संपत्ति के निर्माण और रखरखाव में विशाल ज्ञान के साथ, श्री सुनकर ने 2005 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से एलएलबी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली से पर्यावरण और सतत विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी पूरा किया है।।

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त-3 राजपुर तहसील अशोकनगर म.प्र.

क्रमांक/ री-3/2022/620
दिनांक 07/11/2022

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नत्थूराम पिता पारसिंह जाति कुशवाह निवासी आमाही पछार ने अपनी मां जानकी बाई की मृत्यु दिनांक 09/08/2019 को होना बताया है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। इसमें किसी भी हितग्राही को कोई आपत्ति हो तो वह न्यायालय नायब तहसीलदार अशोकनगर में उपस्थित होकर दिनांक 24/11/22 तक प्रस्तुत करे। बाद ब्याद गुजरने के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह विज्ञप्ति पत्र दिनांक 7/11/2022 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
वृत्त-3 राजपुर
तहसील, अशोकनगर

एलएंडटी फायनांस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 15वीं मंजिल, पीएस सृजन टेक पार्क प्लॉट नं. 52, ब्लॉक डीएन, सेक्टर 5, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता 700091, जिला 24-परगना उत्तर
सीआईएन नं.: U65910WB1993FLC060810
शाखा कार्यालय: भोपाल

L&T Financial Services

गिरवी संपत्ति की बिक्री के लिए सार्वजनिक नीलामी

वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठनीय एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तनीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोगांतर्गत अपनी बकाया राशियों एवं आगामी ब्याज, प्रभारों, कुर्की एवं व्ययों आदि की वसूली हेतु "सांकेतिक ई-निलामी" के माध्यम से "यहाँ है" और "जैसी स्थिति में है" आधार पर निम्नांकित संपत्ति की ई-नीलामी की जा रही है

मूल कर्जदाता का नाम	सिक्योर्ड प्रॉपर्टी का पता	लोन अकाउंट नंबर	भौतिक कब्जा लेना	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आरक्षी का 10% या अधिक (₹ में)	25.10.2022 के अनुसार कुल बकाया राशि (₹ में)	आरक्षित मूल्य (₹ में)	निरीक्षण का दिनांक	नीलामी का दिनांक और समय
1.प्रियांशु कुमार ठाकर 2.अशोक ठाकर	ममुपलेस मकान नं. 60-डी, जमीन का केवरल 1000 स्क्वे. फुट, भू-भाग्य कार्य नं. 25/3/2 का भाग, ग्राम हमखेरा, (श्री साईनाथ नगर), कोलार रोड, पी. एच. नं. 39, नारपतिला निगम सीमाओं के बाहर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.), जो निम्नलिखित से घिरा हुआ है – उत्तर - सड़क दक्षिण - प्लॉट नं. 81 पूर्व - प्लॉट नं. 61 पश्चिम - प्लॉट नं. 59	BOPHL14000 106, BOPHL14000 105 और BOPHL14000 090	03.10.2022	रु. 3,87,658.1	रु. 60,14,840.47	रु. 38,76,581/-	08/12/2022	14/12/2022

सार्वजनिक निलामी के नियम व शर्तें

1. एसएआरफएसआई अनुपूल के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक ई-नीलामी मोड की सहायता से और के जरिए ई-नीलामी बिक्री वेबसाइट https://sarfaesi.E-auctiontiger.net के माध्यम से अधिकृत अभिकर्ती द्वारा ऑनलाइन संचालित की जा रही है.
2. यह सार्वजनिक ई-नीलामी उपरोक्त तिथि एवं समय पर संचालित की जाएगी, जब उपपत्ति सुरक्षित संपत्ति "यहाँ है" और "जैसी स्थिति में है" आधार पर बेची जाएगी.
3. इस सार्वजनिक ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इसकी मंशा रखने वाले क्रेताओं/बोलीकर्ताओं को 08/12/2022 को या उससे पहले पेनकार्ड, कंपनी होने की स्थिति में गठित संकल्पों और पते के प्रमाण की प्रतियों के साथ इस सुरक्षित संपत्तियों के आरक्षित मूल्य के 10% की दायगी योग्य बयाना धनराशि जमा के भुगतान के विवरण जमा करने होंगे.
4. इस सार्वजनिक ई-नीलामी में सफल न होने वाले अन्य सभी बोलीकर्ताओं की ईएमडी को सार्वजनिक ई-नीलामी के 7 दिन के भीतर एलटीएफ द्वारा वापस कर दिया जाएगा. इस ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.
5. सफल क्रेता/बोलीकर्ता द्वारा उसके प्रस्ताव का 25% (ईएमडी सहित) भाग 14/12/2022 को बागी ई-नीलामी के दिन शाम 18.00 बजे या उससे पहले या उसके अगले कार्यदिवस यानी 15/12/2022 को जयपुर में देय "एलटी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डीडी/पीओ के माध्यम से जमा करवाया जाएगा, जिस जमा की पूर्ति एलटी फाइनेंस लिमिटेड द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें असफल रहने पर विक्रय को असफल माना जाएगा और उक्त सफल बोलीकर्ता की ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा. शेष राशि यानी क्रय राशि का 75% भाग क्रेता द्वारा एलटी फाइनेंस लिमिटेड को अचल संपत्ति के विक्रय की पुष्टि होने के पंद्रह दिन या उससे पहले या कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसी विस्तारित अवधि में देय होगा.
6. संपत्ति की बिक्री या अधिक जानकारी के लिये, चाही बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जिनके विवरण हैं, "नाम - संजय आहवान, संपर्क नं. 0761-6061000, एलएंडटी फायनांस लिमिटेड, - एलएंडटी फायनांस लिमिटेड, एलआयसी बिल्डिंग के सामने, नहली मंजिल, यौपनी बैंक के ऊपर, सिमरन टावर, फॉर्च्यू-सम्पुर- 492001 और अंकित जिन, संपर्क नं. 8668943242, एलएंडटी फायनांस लिमिटेड, - कार्यालय: छठी मंजिल, कुंदनम बिल्डिंग, प्लॉट नं. 177, कलीना, सीएसटी रोड, मॉर्डिज़ शोरूम के पास, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई - 400 098" ई-नीलामी के किसी भी चरण पर, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये और बिना कोई पूर्व सूचना दिये बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/अस्थगित/रद्द कर सकते हैं या ई-नीलामी को स्थगित कर सकते हैं।
7. सफल क्रेता/बोलीकर्ता को ऐसे कोई भी वैधानिक शुल्क, कर, देय प्रभार, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि वहन करना होगा, जो लागू कानूनों के अनुसार संपत्ति को उसके पास में सौंपने/प्रदान करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता हो.
8. ऋणी/गारंटर, जो उक्त बकाया राशियों के लिए देनदार हैं, द्वारा उपपत्तेश सार्वजनिक ई-नीलामी विक्रय के बारण के बारे में प्रतिभूति हित (प्रभावीकरण) नियम के नियम 8 (6) के अंतर्गत एक सूचना के रूप में इस विक्रय सूचना को लिया जाएगा.
9. कर्जदार/सहकर्जदार/गारंटर/गारंटीजर को एलएआर उक्त ई-नीलामी दिनांक से पहले कारण विवरणों के अनुसार संपूर्ण बकाया लोन राशि अदा करने का आव्हान किया जाता है जिसमें विफल रहने पर एलटी फाइनेंस लि. एसएआरएफएईएसआई में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संपत्ति को बेच देगी.
10. कर्जदार/सहकर्जदार/गारंटर/गारंटीजर और जन सामान्य को एलएद्वारा एलटी फाइनेंस लिमिटेड की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना सूचना में संदर्भित सिक्योर्ड संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी तरीके से अंतरित करने से निषिद्ध किया जा रहा है.

दिनांक: 09.11.2022
स्थान: भोपाल

कृत/-
प्राधिकृत अधिकारी
एलटी फाइनेंस लिमिटेड के लिए